न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18/154

1. श्री अब्दुल गफ्फार आत्मज अब्दुल सत्तार जाति मुसलमान निवासी पेच की बावडी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
2. रशीदा पुत्री अब्दुल सत्तार जाति मुसलमान निवासी ग्राम पेच की बावडी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
3. फरीदा पुत्री अब्दुल सत्तार जाति मुसलमान निवासी ग्राम पेच की बावडी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
4. हमीदा पुत्री अब्दुल सत्तार जाति मुसलमान निवासी ग्राम पेच की बावडी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान राज्य द्वारा श्रीमान् तहसीलदार साहब हिण्डोली जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री सुनील गौतम, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 21.12.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.07.2016 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट तहसीलदार, हिण्डोली ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 17 (ए) राजस्थान उपनिवेशन (लघु एवं मध्यम सिंचाई परियोजना क्षेत्र में भूमि का आवंटन नियम) 1968 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी अब्दुल गफ्फार पुत्र अब्दुल सत्तार जाति मुसलमान निवासी पेच की बावडी को ग्राम पेच की बावडी तहसील हिण्डोली की आराजी खसरा नम्बर 660/739 रकबा 2.15 बीघा भूमि का आवंटन किया गया था । उक्त भूमि आवंटन के बाद से पडत है, आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा नहीं है । इस प्रकार आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं होने से आवंटन निरस्त फरमाया जावे ।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 14.07.2016 के द्वारा प्रार्थी तहसीलदार, हिण्डोली द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अप्रार्थी अब्दुल गफ्फार के पक्ष में किया गया आवंटन आदेश निरस्त कर दिया ।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.07.2016 से व्यथित होकर अप्रार्थी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त करने का निवेदन किया ।

5. न्यायालय हाजा ने अपने निर्णय दिनांक 24.01.2018 के द्वारा अपील अपीलान्ट खारिज कर दी । न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय से व्यथित होकर प्रार्थी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में रिव्यू प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे न्यायालय हाजा ने स्वीकार करते हुए अपील अपीलान्ट पुनः दर्ज रजिस्टर की गई ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने लिखित बहस पेश की जो शामिल मिसल की गई । अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी मौखिक एवं लिखित बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि तहसीलदार हिण्डोली के द्वारा वादग्रस्त आराजी के आवंटन को निरस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया परन्तु प्रार्थना पत्र में कहीं भी यह अंकित नहीं किया है कि किस तारीख से आवंटन निरस्त किया जाना चाहिए । प्रार्थना पत्र में न तो आवंटन आदेश की तारीख अंकित की है और न ही आवंटन आदेश की प्रति पेश की गई है । उपखण्ड अधिकारी के द्वारा मूल आवंटन की मिसल तलब किये बिना ही आवंटन निरस्त किया गया है जो विधि – विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय ने आवंटी अब्दुल सत्तार के सभी वारिसों को पक्षकार नहीं बनाया गया है । आवंटित भूमि पर अब्दुल सत्तार की पुत्रियॉ रशीदा, फरीदा एवं हमीदा का नाम भी अंकित है । खसरा नम्बर 660/739 के आवंटन को निरस्त करने हेतु अब्दुल गफ्फार के नाम से प्रार्थना पत्र पेश किया है । उक्त भूमि के पास अपीलान्ट की और भी कृषि भूमि है जिस पर अपीलान्ट लगातार काबिज काश्त है । हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर मौके की जॉच किये बिना आवंटी का कब्जा नहीं मानकर आवंटन खारिज किया है। अपीलान्ट की गैर मौजूदगी में कैम्प कोर्ट में निर्णय पारित किया गया है जो निरस्त होने योग्य है । लम्बे अंतराल के बाद तकनीकी कारणों से आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.07.2016 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने कथनों की पुष्टि में आरआरटी 2003 (1) पेज 501, 2016 (2) आरआरटी पेज 756, 2017 (2) आरआरटी पेज 972, 2003 (1) आरआरटी पेज 295, 2016 (2) डीएनजे (राज0) पेज 732, आरआरडी 1986 पेज 369 उद्धरत की ।

8. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पर आवंटी का कब्जा नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से लोक अदालत में निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.07.2016 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में नकल जमाबन्दी संवत् 2069 से 2072 संलग्न है जिसके अनुसार खसरा नम्बर 660/739 की रकबा 2.15 बीघा भूमि अब्दुल गफ्फार पिसरान अब्दुल सत्तार, रशीदा, फरीदा, हमीदा पुत्रियॉ अब्दुल सत्तार के नाम गैर खातेदारी में दर्ज है ।

10. अधीनस्थ न्यायालय ने सिर्फ अब्दुल सत्तार को ही पक्षकार बनाया है अन्य गैर खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया है और बिना उनको पक्षकार बनाये आवंटन खारिज किया गया है जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरीत है ।

11. यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि निर्णय लोक अदालत में किया गया है और पक्षकारान के द्वारा लोक अदालत में कोई राजीनामा पेश नहीं किया गया है । इन तथ्यों के आधार पर हम इस प्रकरण में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज समस्त गैर खातेदारान को सुनवाई का अवसर दिये जाने के उपरान्त ही निर्णय पारित किया जाना आवश्यक समझते हैं ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.07.2016 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज समस्त गैर खातेदारान को नोटिस जारी कर नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 25.02.2019 को उपस्थित हों ।

13. निर्णय आज दिनांक 21.12.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

21.12.18

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा